न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्या:—81/2006

हरपाल कौर पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख साकिन मोकमवाला तहसील रायसिंहनगर जरिये मुख्तयारेआम श्रीमती बलविन्द्र कौर पत्नी बलकार सिंह जाति जटसिख निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।

—— वादीया

बनाम्

शिवकरण पुत्र पन्नालाल जाति कुम्हार साकिन 86 जी.बी.तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)।

—— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—
श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट — वादी की ओर से
श्री रोहताश यादव एडवोकेट — प्रतिवादी की ओर से

—::निर्णय::— **दिनांक:— 04.08.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने इस न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर अभिकथन किया कि— वादीया के नाम से चक 34 ए पी डी का मुरब्बा नं. 15, पत्थर नम्बर 339/413 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 10 में 1.531 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि है। वादीया की भूमि के उत्तर दिशा में प्रतिवादी की भूमि है और वादीया का किला नं. 1 ता 4 प्रतिवादी की भूमि के साथ चिपते हुए है। वादीया के मुरब्बा के किला नं. 5 में सरकारी नाका बना हुआ है और वादीया की भूमि की सिंचाई के लिए किला नं. 5, 4, 3, 1 में उत्तर दिशा की तरफा खाला बनाया हुआ था, इसी खाला से वादीया की भूमि व इस मुरब्बा की शेष भूमि की सिंचाई होती थी। प्रतिवादी ने आज से छः वर्ष पूर्व अपने खेत की मिट्टी इकट्ठी कर वादीया की भूमि किला नं. 1 ता 4 व 5 में करीब 12 से 15 फुट का डोला बना दिया जिससे जो खाला किला नं. 1 से 5 में था बन्द हो गया और वादीया की भूमि को सिंचाई सुविधा बन्द हो गयी क्योंकि खाला व नाका प्रतिवादी द्वारा मिट्टी डाल कर बन्द कर दिया गया। वादीया ने सिंचाई विभाग में कई प्रार्थना—पत्र दिये, तहसील में भी प्रार्थना—पत्र दिये, पटवारी हल्का ने भी मौका पर जाकर प्रतिवादी को उसके द्वारा वादीया की भूमि में मिट्टी डाल कर किये गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया लेकिन प्रतिवादी ने नहीं हटाया। वादीया ने प्रतिवादी के इस आपराधिक कृत्य के लिए पुलिस थाना अनूपगढ़ में फौजदारी मुकद्मा भी किया जिसका मुकद्मा नम्बर 358/06 है जिसमें पुलिस ने प्रतिवादी के विरूद्ध धारा 430, 504 भा.दं.सं.में न्यायालय में आरोप—पत्र भी पेश किया और पुलिस ने प्रतिवादी द्वारा वादीया की भूमि में मिट्टी डालकर किये गए अतिक्रमण का नक्शा मौका व हालात मौका भी अपने आरोप—पत्र के साथ न्यायालय में पेश [illegible] प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि में मिट्टी डालकर खाला बन्द कर दिया [illegible] वादीया [illegible] पानी नहीं लगा सका जिसका वादीया को एक लाख चौबालीस हजार [illegible] नुकसान [illegible] की फसल प्रतिबीघा चार हजार रूपये 6 वर्ष तक नुकसान हुआ है। वादीया ने दिनांक 8.11.2006 को प्रतिवादी को उसके द्वारा किये गए अतिक्रमण को हटाने व छः वर्ष तक बिना पानी के फसल वादीया द्वारा काश्त न कर सकने के नुकसान के 1,44,000/—रू. देने का कहा तो प्रतिवादी साफ इंकार हो गया और कहने लगा कि आपने मेरे विरूद्ध फौजदारी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करवा दिया है, अब मैं इस अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.16 11:24:27 IST
Reason: SelfAttested

को नहीं हटाऊंगा और ना ही आपको आपकी फसल का नुकसान दूंगा। बस यही बिनाय मुखास्मत दावा है। अतः वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादी ने मिट्टी डाल कर मेरी भूमि अतिक्रमण कर मेरा खाला व सरकारी नाका को बंद किया है, उस मिट्टी के डोला को हटावे एवं प्रतिवादी द्वारा मिट्टी डालकर वादीया के पानी के खाला व नाका को बन्द किया है उससे वादीया को जो 6 वर्ष तक बिना खेती के खेती न करने से हुए नुकसान 1,44,000/–रूपये का भुगतान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अभिभाषक श्री रोहताश यादव ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीया/ अप्रार्थीया ने अपने वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा है वह अनुतोष धारा–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में नही आता है तथा उक्त अनुतोष सिविल वाद की परिधि में ही आता है। जिससे प्राप्त करने के लिए वादीया/ अप्रार्थीया को सिविल न्यायालय में ही वादपत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, अतः हस्तगत वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नहीं होने के कारण मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें, जिसे न्यायालय द्वारा वादीया/अप्रार्थीया का जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात न्यायालय के आदेश दिनांक 04.04.2008 द्वारा सारहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया। बार–बार अवसर दिये जाने बावजूद प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया, फलतः दिनांक 23.5.2008 को जवाबदावा बन्द किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.2.2018 को वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आदेश किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा 11.5.2018 को रिपोर्ट दी गई कि वादीया के किला नं. 1 ता 5 में बने मिट्टी का डोल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिवादी स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 18.11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादीया की ओर से अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.–1 बलविन्द्र कौर, पी.डब्ल्यू.–2 सरजीत सिंह, पी.डब्ल्यू.–3 रणधीर सिंह, पी.डब्ल्यू.–4 श्रवण राम, भू.अभिलेख निरीक्षक के बयान लेखबद्ध करवाए तथा सभी गवाहों ने अपने बयान में यह कथन किया है कि प्रतिवादी शिवकरण ने वादीया की कृषि भूमि में 12 से 15 फूट भूमि में अपने खेत की मिट्टी डालकर डोला बना दिया जिसे किला नं.–1ता5 में निर्मित खाला बंद हो गया फलतः वादीया की वादाधीन कृषि भूमि में सिंचाई नही हो सकी। दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1 वादाधीन कृषि भूमि की जमाबंदी, प्रदर्श–2ए दस्तावेज मुख्त्यारनामा आम, प्रदर्श–3 वादाधीन कृषि भूमि के सीमाज्ञान/पैमाईश संबंधी कार्यवाही से संबद्ध पटवारी की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4 मुकद्मा नं.–358 दिनांक–03.08.2006 में तत्कालिन पटवारी के बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादीया ने वाद के तथ्यों को दोहराते कथन किया कि वादीया ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भली–भांति साबित किया है कि प्रतिवादी शिवकरण ने वादीया की कृषि भूमि में 12 से 15 फूट भूमि में अपने खेत की मिट्टी डालकर डोला बना दिया जिसे किला नं. –1ता5 में निर्मित खाला बंद हो गया फलतः वादीया की वादाधीन कृषि भूमि में सिंचाई नही हो सकी। जबकि प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब–दावा पेश नहीं किया गया है और ना ही कोई खण्डीय साक्ष्य पेश की गई। अतः वाद डिक्री किया जावे तथा वा[illegible] गया अनुतोष वादीया को प्रदत्त किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। वादीया की ओर से अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.–1 बलविन्द्र कौर, पी.डब्ल्यू.–2 सर[illegible] सिंह, पी.डब्ल्यू.–3 रणधीर सिंह, पी. डब्ल्यू.–4 श्रवण राम, भू.अभिलेख निरीक्षक के लेखबद्ध बयानों एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1 वादाधीन कृषि भूमि की जमाबंदी, प्रदर्श–2ए दस्तावेज मुख्त्यारनामा आम, प्रदर्श–3 वादाधीन कृषि भूमि के सीमाज्ञान/पैमाईश संबंधी कार्यवाही से संबद्ध पटवारी की दैनिक डायरी की प्रमाणित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.16 11:24:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रति, प्रदर्श–4 मुकद्मा नं.–358 दिनांक–03.08.2006 में तत्कालिन पटवारी के बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि, पत्रावली पर संलग्न पुलिस द्वारा तैयार नक्शा मौका मय हालात मौका आदि दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से भली–भांति प्रमाणित है कि प्रतिवादी ने वादीया की उक्त भूमि के किला नं. 1 ता 5 में अपने खेत की मिट्टी डालकर ऊंचा डोला बनाकर अतिक्रमण कर वादीया की भूमि का नाका एवं खाला बन्द कर दिया जिससे वादीया की भूमि को सिंचाई सुविधा बन्द हो गयी तथा वादीया की भूमि को पानी नहीं लग सका जिससे वादीया का प्रतिवर्ष दो फसल का नुकसान हुआ है, फलतः वादीया राज.काश्त.अधिनियम, 1955 की धारा–183 के तहत प्रश्नगत भूमि से प्रतिवादी की बेदखली के साथ–साथ धारा–187 1(i) के तहत जोत का कब्जा, धारा 187 1(ii) के तहत दोषपूर्ण रूप से बेकब्जा किये जाने के लिए मुआवजा प्राप्त करने की भी अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्ध बेदखली की डिक्री इस आशय से पारित की जाती है कि कृषि भूमि मुरब्बा नं.–15 पत्थर नं.–339/413 के किला नं.–1ता4 की उत्तर दिशा में जो प्रतिवादी ने 15 फुट अपने खेत की मिट्टी डालकर अतिक्रमण किया है और वादीया के खाला के सरकारी नाका को बंद किया है उस मिट्टी के डोला को प्रतिवादी संख्या–01 को एक माह में हटा लेवें। अगर प्रतिवादी संख्या–01 ऐसा करने में कासिर रहे रहे तो तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी सं.–01 के व्यय पर अतिक्रमण हटा कर कब्जा वादीया को सुपुर्द करें तथा अतिक्रमण हटाने में होने वाले समस्त व्यय को भू–राजस्व की बकाया के रूप में प्रतिवादी सं. 1 की चल–अचल सम्पति को कुर्क व नीलाम कर वसूल किया जायें।

धारा–187 1(ii) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा मिट्टी डालकर खाला व नाका को बंद करने के कारण खेती न हो सकने से वादीया को हुए नुकसानस्वरूप 1,44,000 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का वादीया को इस आदेश की दिनांक से तीन माह के भीतर भुगतान करे तथा तीन माह के पश्चात भुगतान की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि 1,44,000 रूपये पर वादीया को प्रतिवादी द्वारा डिक्री दिनांक से अदायगी दिनांक तक छः प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा किया जावेगा। यदि प्रतिवादी वादी को उक्त क्षतिपूर्ति राशि तीन माह में भुगतान करने में असफल रहता है तो तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ को आदेश 21 नियम 30 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आदेशित किया जाता है कि वह धारा–256(ग)(i) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज प्रतिवादी की चल–अचल सम्पति को नियमानुसार कुर्क व विक्रय कर वसूल करें एवं वादी को वसूल क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज संदाय करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **04.08.2021** को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.16 11:24:27 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़